ए.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी.

सुनील खत्री और ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील संख्या 3862)

बी.

19 मई, 2022

[हेमंत गुप्ता और वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.** जे**.]**

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013:धारा 24 (2)-भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही, जब समाप्त हो गई मानी जाती है-प्रत्यर्थीगण की भूमि यू/एस को अधिसूचित करती है।4 दिल्ली के नियोजित विकास के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की अधिसूचना दिनांक 25.11.1980-घोषणा यू/एस।6 प्रकाशित और पुरस्कार पारित-दिनांक 2 और 1 की अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत-विभिन्न रिट याचिकाओं में चुनौती-उच्च न्यायालय ने बेदखल करने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया-कई मुकदमे जारी रहे-इस बीच, 2013 अधिनियम लागू हुआ-लंबित रिट याचिका में दायर आवेदन-उच्च न्यायालय द्वारा यह मानते हुए अनुमति दी गई कि अधिग्रहण की कार्यवाही एस के आधार पर समाप्त हो गई थी।24(2) – अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा गुरदीप सिंह और बीर सिंह के मामले में पूरी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था, इसलिए राज्य रद्द अधिसूचना के आधार पर कब्जा नहीं कर सका-हालाँकि, इस न्यायालय के निर्णय वर्ष 1999 या 2000 में सुनाए जाने से पहले, भूमि मालिक ने बेदखल करने पर रोक प्राप्त कर ली थी-इस प्रकार, यह यू/एस अधिसूचना के लंबित रहने तक बेदखल करने पर रोक नहीं है।6 या पुरस्कार यू/एस।11-लेकिन इस न्यायालय द्वारा तय की गई पूरी भूमि का अधिग्रहण-इस प्रकार, राज्य यू/एस अधिसूचना के आधार पर कब्जा नहीं ले सकता था।6 जब 2013 का अधिनियम 1 पर लागू हुआ तो पांच साल की अवधि समाप्त नहीं हुई थी जो अधिग्रहण को अलग करने से स्वतंत्र या स्वतंत्र थी-अपीलार्थी को कब्जा लेने के लिए दायर कई रिट याचिकाओं में अंतरिम आदेशों द्वारा रोका गया था-इस प्रकार, 2013 के अधिनियम

के प्रारंभ से पहले, 5 साल की कोई रोक मुक्त अवधि नहीं थी जिससे यह घोषणा की जा सकती थी कि कार्यवाही समाप्त हो गई है-अधिसूचनाएं यू/एस।6 15.5.1989 और 17.12.1996 को रद्द कर दिया गया था जिसे गुरदीप सिंह उबन-I और II के मामले में अलग रखा गया था, लेकिन इससे पहले, रोक का आदेश था

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

68 ए.

69

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुनील खत्री और ओआरएस।

27.9.1999 पर भूमि मालिक के पक्ष में दिया गया बेदखल-इस प्रकार, अधिसूचना यू/एस को अलग करने के कारण।6, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए राज्य कब्जा नहीं कर सका-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

बी.

पकड़नाः**1.1** भूमि मालिकों द्वारा दायर रिट याचिका में**, 9.7.1999** पर रोक लगाने का एक अंतरिम आदेश दिया गया था**,** इससे पहले कि गुरदीप सिंह उबन**-I** पर **20.8.1999** पर निर्णय लिया गया था।अधिनियम की धारा **6** के तहत जिन अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया था**,** वे गुरदीप सिंह उबन**-I** और **II** मामले में इस अदालत के आदेश के बाद ही प्रभावी हुईं। जमीन के मालिक ने अजीब तरह से अभय राम में **22.4.1997** पर दिए गए फैसले का कोई उल्लेख नहीं किया। भूमि मालिक द्वारा दायर रिट याचिका में बेदखल करने पर रोक का आदेश **2013** के अधिनियम के लागू होने पर भी जारी रहा।पुरस्कार की घोषणा से पहले ही गुरदीप सिंह उबन के सामने जो भूमि चुनौती का विषय थी**,** वह गांव छतरपुर में थी।गाँव छतरपुर में स्थित भूमि के संबंध में **28.4.1986** पर बेदखल करने का एक अंतरिम आदेश था जो तब तक जारी रहा जब तक कि अधिनियम की धारा **6** के तहत

अधिसूचना को रद्द नहीं कर दिया गया, जो कि **15.05.1989** पर निर्णय लिए गए थे। यह आदेश इस अदालत द्वारा गुरदीप सिंह उबन प्रथम मामले में **20.8.1999** पर रद्द कर दिया गया था। भूमि मालिक को **9.7.1999** पर अपनी रिट याचिका में रोक मिल गई थी।इस प्रकार, **2013** के अधिनियम के लागू होने से पहले **5** साल की कोई ठहराव मुक्त अवधि नहीं थी। **[**पैरा **21] [83-**बी-ई**]**

सी.

डी.

ई.

1.2.यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा गुरदीप सिंह और बीर सिंह के मामले में पूरी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था, इसलिए राज्य रद्द अधिसूचना के आधार पर कब्जा नहीं कर सका।लेकिन इस न्यायालय के फैसले वर्ष **1999** या **2000** में सुनाए जाने से पहले, भूमि मालिक ने बेदखल करने पर रोक प्राप्त कर ली थी।इसलिए, यह धारा **6** के तहत अधिसूचना या धारा **11-**ए के तहत निर्णय लंबित रहने तक बेदखल करने पर रोक नहीं है, बल्कि इस न्यायालय द्वारा तय की गई पूरी भूमि का अधिग्रहण है।इस प्रकार, राज्य धारा **6** के तहत एक अधिसूचना के आधार पर कब्जा नहीं कर सका, जिससे **05.06.1987** पर पुरस्कार दिया गया।यह तर्क कि भूमि मालिक के पक्ष में स्थगन दिए जाने तक पुरस्कार की तारीख से कोई रोक नहीं थी, इसलिए आंशिक रूप से सही है क्योंकि अधिग्रहण के अलावा कोई रोक नहीं थी

एफ.

जी.

एच.

ए.

अपने आप को निरस्त कर दिया।इसलिए, जब **2013** का अधिनियम **01.01.2014** पर लागू हुआ, तो पाँच साल समाप्त नहीं हुए थे जो अधिग्रहण से मुक्त या अलग रखने से मुक्त थे।**[**पैरा **22] [83-**एफ-एच**]**

1.3.ध्यान देने योग्य बात यह है कि हालांकि बालक राम-द्वितीय मामले में उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा **6** के तहत अधिसूचना को रद्द नहीं किया था, लेकिन बाद के कुछ फैसलों जैसे कि सुखबीर सिंह में, उच्च न्यायालय ने माना कि अधिसूचना रद्द कर दी गई है और भूमि भूमि मालिकों को वापस कर दी गई है।इसलिए, भूमि मालिकों को मुआवजे को

वापस करने का विकल्प दिया गया था।इस अदालत ने दिल्ली में इस तरह के फैसले की पुष्टि की थी।

बी.

सी.

विकास प्राधिकरण बनाम सूडान सिंह।गुरदीप में दिल्ली उच्च न्यायालय

सिंह उबन आदि ने सूडान सिंह पर भरोसा किया कि अधिनियम की धारा **6** के तहत अधिसूचना रद्द कर दी गई है।हालाँकि**,** सूडान सिंह को विशेष रूप से अच्छा नहीं पाया गया

अभय राम**,** गुरदीप सिंह उबान**-I** और गुरदीप सिंह उबान**-**में कानून

II. स्वयं भूमि मालिकों द्वारा दायर रिट याचिका पर रोक लगा दी गई थी जो **2013** के अधिनियम के लागू होने तक जारी रही।इसलिए**,** यह स्वयं उच्च न्यायालय का आदेश था जिसने अपीलार्थी को कब्जा करने से रोक दिया।हालाँकि**,** इस तरह की स्थिति गुरदीप सिंह के मामले में फैसले के बाद ही स्पष्ट हुई

डी.

उबन**-I,** जिसे बाद में गुरदीप सिंह उबन**-II** में स्पष्ट किया गया**,** लेकिन

ई.

इस बीच**,** भूमि मालिकों के पक्ष में एक अंतरिम आदेश दिया गया था।**[**पैरा **26] [87-**ए**-**डी**]**

1.4.5 साल की अवधि **1.1.2014** पर समाप्त नहीं हुई थी जिससे अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो सकती थी।अपीलार्थी को कब्जा लेने के लिए दायर कई रिट याचिकाओं में अंतरिम आदेशों द्वारा रोका गया था।इसलिए**, 2013** के अधिनियम के प्रारंभ से पहले**, 5** साल की कोई ठहराव मुक्त अवधि नहीं थी जिससे यह घोषणा हो सकती थी कि कार्यवाही समाप्त हो गई है।इसके अलावा**,** अधिनियम की धारा **6** के तहत **15.5.1989** और **17.12.1996** पर रद्द की गई अधिसूचनाओं को गुरदीप सिंह उबन**-I** और **II** में अलग रखा गया था**,** लेकिन इससे पहले**, 27.9.1999** पर भूमि मालिक के पक्ष में बेदखल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।इसलिए**,** अधिनियम की धारा **6** के तहत अधिसूचना को रद्द करने के कारण**,** उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए राज्य अपना अधिकार नहीं ले सका।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।**[**पैरा **28,29] [88-**जी**-**एच**; 89-**ए**-**बी**]** ए

एफ.

जी.

एच.

71

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुनील खत्री और ओआरएस।

मुन्नी लाल बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल **1983** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन डेल **321;** बालक राम गुप्ता बनाम भारत संघ **1987**

एससीसी ऑनलाइन डेल 227:आकाशवाणी 1987 डेल 239; श्री बी. आर.

गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य। **1988** एससीसी ऑनलाइन डेल

367 :(1989) 37 डीएलटी 150 (डीबी); अभय राम बनाम भारत संघ सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2657/85 अभय राम और ओआरएस. वी.भारत संघ और अन्य। (1997) 5 एससीसी 421:[1997] 3

बी.

एस**.** सी**.** आर**. 931;** दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सूडान सिंह और अन्य। **(1997) 5** एस**.** सी**.** सी**. 430;** बलबीर सिंह बनाम संघ

भारत और ओआरएस। 1989 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 211:(1989) 39

डीएलटी **233 (**डीबी**);** ब्रिगेडियर।गुरदीप सिंह उबन बनाम संघ

भारत 1996 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 879; दिल्ली प्रशासन

सी.

v. गुरदीप सिंह उबन और अन्य। **(1999) 7** एससीसी **44:[1999] 1** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 650;** दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह

उबन और ओआरएस। (2000) 7 एससीसी 296:[2000] 2 पूरक।एससीआर

496; चत्रो देवी बनाम भारत संघ **2005** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन दिल्ली **279;** भारत संघ बनाम शिव राज **(2014) 6** एस**.** सी**.** सी**. 564:[2014] 8** एस**.** सी**.** आर**. 751;** इंदौर विकास प्राधिकरण

डी.

बनाम मनोहरलाल और अन्य (2020) 8 एस. सी. सी. 129:[2020]

3 एस**.** सी**.** आर**. 1;** ओम प्रकाश बनाम भारत संघ और अन्य

(2010) 4 एससीसी 17:[2010] 2 एस. सी. आर. 447; मनोहर लाल

अत्रि बनाम भारत संघ और अन्य। **1990** की सिविल रिट याचिका संख्या **2364;** श्रीमती**.** शीला खत्री और ओआरएस**.** वी**.**संघ का

ई.

भारत और ओआरएस। 1998 की सिविल रिट याचिका संख्या 1786;

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड।

& ओआरएस। 2022 की सिविल अपील संख्या 3073; श्रीमती वरिंदर

कौर बनाम एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली सरकार **2018** की डब्ल्यू**.** पी**. (**सी**)** संख्या **589;** दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राजन सूद

एफ.

2022 की सिविल अपील सं. 1927; दिल्ली विकास

प्राधिकरण बनाम भीम सैन गोयल और अन्य। सिविल अपील सं।

3151 2022 का**-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[1997] 3 एससीआर **931**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

जी.

(1997) 5 एससीसी **430**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6,26**

[1999] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 650** पैरा **9 [2000] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **10** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 496**

एच.

72 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 4 एस. सी. आर.

ए.

[2014] 8 एससीआर **751**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[2020] 3 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12,27**

[2010] 2 एससीआर **447**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 3862।

बी.

1999 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 1786 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.12.2014 के निर्णय और आदेश से।

संजय पोद्दार, वरिष्ठ अधिवक्ता, अश्विनी कुमार, अंशय धतवालिया, गोविंद कुमार, प्रतिश गोयल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सी.

सुमित बंसल, उदयबीर सिंह कोचर, सुश्री तान्या अग्रवाल, गगन गुप्ता, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता**,** जे।

डी.

1. वर्तमान अपील में चुनौती दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को दी गई है, जिसके तहत लंबित रिट याचिका में दायर एक आवेदन को अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) को देखते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है।

ई.

2. प्रत्यर्थीगण 2 की 14 बीघा 8 बिसवा की भूमि जिसमें खसरा सं. 1883 (4-16), 1884 (4-16) और 1885 (4-16) शामिल हैं, को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 3 की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया था, जैसा कि दिल्ली के नियोजित विकास के लिए

आवश्यक है।यह अधिसूचना गांव छतरपुर, सतबाड़ी मैदानगढ़ी, सयूरपुर और राजपुर खुर्द में स्थित भूमि के संबंध में थी।अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणाएं 27.5.1985,6.6.1985,7.6.1985 और 26.2.1986 पर प्रकाशित की गई थीं और पुरस्कार की घोषणा 05.06.1987 पर की गई थी।

एफ.

3. 5.11.1980 और 25.11.1980 की अधिसूचनाओं के माध्यम से शुरू की गई अधिग्रहण की प्रक्रिया को उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी और बेदखल करने पर रोक लगाने का एक अंतरिम आदेश था

जी.

1 संक्षेप में, '2013 अधिनियम' 2 संक्षेप में, 'भूमि मालिक' 3 संक्षेप में, 'अधिनियम' ए

एच.

73

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुनील खत्री और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

दिया गया।रिट याचिकाओं के पहले समूह में, अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अधिसूचना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं थी।इस तरह की चुनौती 15.11.1983 पर एक निर्णय द्वारा विफल रही जिसे मुन्नी लाल बनाम लेफ्टिनेंट के रूप में रिपोर्ट किया गया था।

4. दिल्ली के राज्यपाल।

4. इसके बाद अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती देने के लिए विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गईं कि ऐसी अधिसूचना 1984 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 68 द्वारा प्रदान की गई समय सीमा के बाद प्रकाशित की गई है। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने दिनांक 27.5.1987 के एक फैसले में

बी.

बालक राम गुप्ता बनाम भारत संघ **5** के रूप में रिपोर्ट किया गया कि ठहराव

अधिसूचना के प्रकाशन में तीन साल की अवधि निर्धारित करने के लिए एक या दूसरी रिट याचिका में बेदखल करने पर विचार किया जाना आवश्यक है।उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

सी.

“39. ऊपर बताए गए कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिस अवधि के दौरान स्थगन आदेश लागू थे, उसे धारा 6 के तहत घोषणा की वैधता की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।जहाँ तक 25-11-80 की अधिसूचना का संबंध है, हम पाते हैं कि एस. 6 घोषणाओं में से नवीनतम 26-2-86 पर था।स्थगन आदेश (सी. एम. पी. 668/81 में) 18-3-81 से 15-11-83 यानी 2 साल, 7 महीने और 27 दिनों की अवधि के लिए लागू था।इसलिए वे समय पर तीन साल और 2 साल 3 महीने, यानी धारा 4 अधिसूचना के 5 साल 3 महीने के भीतर जारी किए गए हैं।जहां तक दिनांक 1 की अधिसूचना का संबंध है, हम पाते हैं कि धारा 6 की नवीनतम घोषणा 7-6-1985 को जारी की गई थी, यानी धारा 4 की अधिसूचना के 4 साल 7 महीने बाद।वे क्रम में रहते हैं (सी. एम. पी. 4226/81 में) 30-9-1981 से 15-11-1983, यानी 2 साल और 11/2 महीनों के लिए सक्रिय थे।यदि इस अवधि को बाहर रखा जाता है तो घोषणा समय के भीतर की जाती है।हम अपने सामने चर्चा किए गए मुख्य मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार देते हैं।”

डी.

ई.

एफ.

5. कानून के प्रश्न पर निर्णय लेने के बाद, मामले को उपयुक्त खंड पीठ के समक्ष रखने का आदेश दिया गया।रिट याचिकाओं का निर्णय डिवीजन बेंच द्वारा 14.10.1988 पर किया गया था, जब 'पालन करने के कारण' बताते हुए परिचालन आदेश पारित किया गया था।उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कारणों को दर्ज करने पर श्री बी. आर. गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया। 6 18.11.1988 पर, इसके तहत जारी अधिसूचना को अलग रखें।

जी.

4 1983 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 321

5 संक्षेप में, 'बालक राम-I', 1987 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 227:ए. आई. आर. 1987 डेल 239 6 संक्षेप में, 'बालक राम-II', 1988 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 367:(1989) 37 डीएलटी 150 (डीबी)

एच.

रिट याचिकाकर्ता के रूप में अधिनियम की धारा 6 को न तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था, न ही अधिनियम की धारा 5 ए के तहत भूमि मालिकों द्वारा दायर आपत्तियों में उसे वास्तव में सुना गया था और चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं/भूमि मालिकों द्वारा दायर बड़ी संख्या में आपत्तियों पर विचार करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, इसलिए यह माना गया था कि रिट याचिकाकर्ता जिसकी भूमि सरकार द्वारा उसकी सहमति के बिना ली जा रही है, उसे यह जानने का अधिकार है कि छूट के लिए उसके दावे को क्यों अस्वीकार किया जा रहा है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

बी.

“16. हम ध्यान दे सकते हैं कि रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा ऊपर उल्लिखित और विचार की गई दलीलों के अलावा कई अन्य दलीलें उठाई गई हैं।हमें उन सभी में जाने और कोई निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि धारा 5 ए के तहत रिपोर्ट और धारा 6 के तहत आदेश हमारे द्वारा पहले से ही नोट किए गए तर्कों के आधार पर कानून में बनाए नहीं रखे जा सकते हैं।”

सी.

6. सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2657/85 (अभय राम बनाम भारत संघ) में, उच्च न्यायालय द्वारा 29.10.1985 पर यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था।बालक राम-1 के फैसले को देखते हुए रिट याचिका को बाद में 2.9.1987 पर खारिज कर दिया गया था। भूमि मालिकों ने इस न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की जिसके तहत बेदखल करने के संबंध में यथास्थिति का आदेश 25.3.1988 पर पारित किया गया था।अंतिम क्रम में, अभय राम और ओआरएस. वी. के रूप में रिपोर्ट किया गया।भारत संघ और अन्य। 7, बालक राम-1 के फैसले को बरकरार रखा गया।इस न्यायालय ने बालक राम-द्वितीय का उल्लेख किया जिसमें यह पाया गया कि रिट याचिकाओं को एक परिचालन आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी जिसका 'पालन करने का कारण' था।इस न्यायालय ने गौर किया कि दुर्भाग्य से, दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सूडान सिंह और अन्य मामले में। 8, निर्णय के संचारी भाग को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था।इसलिए, इसमें अनुपात का इस मामले में तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

डी.

ई.

एफ.

“12. यह सच है कि इस न्यायालय की एक पीठ ने प्रभाव पर विचार किया है

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सूडान में इस तरह के एक रद्द करने का

सिंह [(1997) 5 एससीसी 430:(1991) 45 डीएलटी 602]।लेकिन, दुर्भाग्य से, उस मामले में पहले निर्दिष्ट निर्णय के परिचालन भाग को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।इसलिए, इसमें अनुपात का इस मामले में तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

जी.

7 (1997) 5 एससीसी 421 8 (1997) 5 एससीसी 430 ए

एच.

75

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुनील खत्री और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

7. सुदान सिंह में फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया था, जिसमें एक फैसले में कहा गया था कि बीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य। 9.उच्च न्यायालय ने 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 51 में प्रत्यर्थीगण को विवाद या भवन के विध्वंस में याचिकाकर्ता को भूमि से बेदखल करने से रोक दिया।रिट याचिका को 21.4.1989 पर अनुमति दी गई थी और धारा 6 के तहत अधिसूचना को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था।ब्याज के साथ वितरित मुआवजे की राशि जमा करने पर भूमि मालिकों को भूमि का भौतिक कब्जा सौंपने का भी निर्देश दिया गया था।

बी.

8. ब्रिगेडियर में।गुरदीप सिंह उबन बनाम भारत संघ **10,** दिल्ली

उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 4 के तहत दिनांक 1 की अधिसूचना के माध्यम से गांव छतरपुर में भूमि अधिग्रहण की जांच कर रहा था। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द कर दिया। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

सी.

“27. याचिकाकर्ताओं ने हमारे समक्ष आग्रह किया है कि बालक राम गुप्ता के मामले में फैसले को पैरा 4 में 45 (1991) डी. एल. टी. (11) 602 (एस. सी.) (दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सूडान सिंह) में उच्चतम न्यायालय की मंजूरी की मुहर मिल गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि 11 गांवों के संबंध में अधिसूचना नहीं, बल्कि 12 गांवों के संबंध में अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया है।

डी.

28. उपरोक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदन की विशिष्ट मुहर के आलोक में, यह देखना मुश्किल है कि बालक राम गुप्ता के मामले में उच्च न्यायालय का पूर्ण पीठ का निर्णय और बालक राम गुप्ता के मामले में खंड पीठ का निर्णय तत्काल मामले में कैसे लागू नहीं होता

है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि "अधिसूचना" को विशेष रूप से "कानून" के रूप में माना जाता है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 (3) (ए) द्वारा विचार किया गया है।यह (1985) 1 एस. सी. सी. 641 में आयोजित किया गया है।(इंडियन एक्सप्रेस

ई.

एफ.

समाचार पत्र (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड बनामभारत संघ)।द.

अधिसूचनाएं कानून होने के कारण, कानून को रद्द कर दिया गया है और इसे निरर्थक बना दिया गया है जो उन सभी व्यक्तियों के लाभ के लिए सुनिश्चित करता है जिनके इस तरह के कानून/अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना है।"

जी.

9. इसके अलावा, दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन और अन्य में यह न्यायालय। 11 ने अपील की अनुमति दी और उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया और इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

9 1989 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 211:(1989) 39 डी. एल. टी. 233 (डी. बी.) 10 1996 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 879

11 संक्षेप में, 'गुरदीप सिंह उबन-1' (1999) 7 एस. सी. सी. 44

एच.

"7. हम यह कह सकते हैं कि यह सच है कि सूडान सिंह के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक और फैसले की पुष्टि की, जिसमें उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रिट याचिका को मंजूरी दी थी कि डिवीजन बेंच के दिनांक 1 के फैसले ने धारा 6 की घोषणा को पूरी तरह से रद्द कर दिया था।यह भी सच है कि सूडान सिंह के मामले में भी मालिकों द्वारा धारा 5 ए के तहत कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन, हम अभय राम के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से शासित हैं, जहां उक्त पीठ ने न केवल उच्च न्यायालय के दिनांकित खंड पीठ के फैसले के प्रभाव का उल्लेख किया है, बल्कि सूडान सिंह के मामले में इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया है।अभय राम में तीन न्यायाधीशों की पीठ सूडान सिंह में दो न्यायाधीशों के फैसले की तुलना में हम पर बाध्यकारी है।

बी.

सी.

10. जमीन मालिकों ने गुरदीप सिंह उबन-1 में पारित आदेश के खिलाफ इस आधार पर पुनर्विचार याचिका दायर की कि अभय राम और सुदन सिंह के बीच संघर्ष के कारण मामले को बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।इस तरह की समीक्षा को 24-11-1999 में खारिज कर दिया गया था

डी.

दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन और

ओआरएस। 16.इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:"45. यह ध्यान दिया जाएगा कि जब अभय राम [(1997) 5 एस. सी. सी. 421] का फैसला उच्च न्यायालय में किया गया था, तो केवल पूर्ण पीठ का फैसला था, न कि बालक राम गुप्ता मामले में बाद की खंड पीठ का फैसला।लेकिन जब तक अभय राम मामला [(1997) 5 एस. सी. सी. 421] इस न्यायालय में तीन विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष 20-8-1999 पर आया, तब तक डिवीजन बेंच का आदेश दिनांक 18-11 -

ई.

1988 बालक राम गुप्ता में [बी. आर. गुप्ता बनाम भारत संघ, (1989)

एफ.

38 डी. एल. टी. 243 (डी. बी.) (दिनांक 18-11-1988 का आदेश) भी उपलब्ध था और स्वाभाविक रूप से अपीलार्थी ने दिनांक 18-11-1988 के खंड पीठ के फैसले के बाद के आदेश के आधार पर एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि पूरी धारा 5-ए जांच और पूरी भूमि अधिग्रहण कार्यवाही रद्द कर दी गई।अभय राम [(1997) 5 एस. सी. सी. 421] में अपीलार्थी, हमारे विचार में, निश्चित रूप से ऐसा करने का हकदार था।हालाँकि अभय राम [(1997) 5 एस. सी. सी. 421] में उनके तर्क को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 18-11-1988 के बाद के तर्कपूर्ण आदेश में उपयोग की गई व्यापक भाषा के बावजूद, इसके संचालन का क्षेत्र उसी विभाग द्वारा बताए गए क्षेत्र तक सीमित था।

जी.

16 संक्षेप में, 'गुरदीप सिंह उबन-II', (2000) 7 एस. सी. सी. 296 ए.

एच.

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुनील खत्री और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

पीठ ने पहले 14-10-1988 पर जब रिट याचिकाओं को अनुमति देने वाले 73 मामलों में एक संक्षिप्त परिचालन आदेश पारित किया गया था।हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि प्रत्येक मामले में पूर्ण दिनांकित (आई. डी. 1) की रिट आपत्तियों पर विचार न करने पर आधारित थी, न कि इस आधार पर कि कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं था और इसलिए प्रत्येक मामले में निर्णय उसमें शामिल भूमि तक ही सीमित होना चाहिए।अभय राम [(1997) 5 एस. सी. सी. 421] मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि खंड पीठ का दिनांकित [आई. डी. 2] युक्तियुक्त आदेश दिनांकित [आई. डी. 1] के पहले के परिचालन आदेश से आगे नहीं जा सकता है और रिट याचिकाओं के उक्त समूह में शामिल भूमि के अलावा अन्य भूमि को कवर नहीं कर सकता है।हमारे विचार में, बालक राम गुप्ता में दिनांकित 14-10-1988 और 18-11-1988 के आदेशों की शुद्धता या व्याख्या का सवाल सीधे इस न्यायालय में अभय राम [(1997) 5 SCC 421] में मुद्दा बनाया गया था और अभय राम [(1997) 5 SCC 421] में उक्त निर्णय को न तो अनावश्यक के रूप में वर्णित किया जा सकता है और न ही आज्ञाकारी होने के रूप में और न ही प्रति आदेश निर्णय के रूप में।सूडान सिंह [(1997) 5 एस. सी. सी. 430] इस प्रश्न में बिल्कुल नहीं गए थे और आवेदक की मदद नहीं करेंगे।”

बी.

सी.

डी.

11. चत्रो देवी बनाम भारत संघ 12 में रिट याचिकाओं के एक अन्य समूह में, खंड पीठ के माननीय न्यायाधीशों ने इस सवाल पर मतभेद व्यक्त किया कि क्या अधिनियम की धारा 5-ए के तहत दायर आपत्तियों का निर्णय केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जाना आवश्यक है जिसने सुनवाई का अवसर प्रदान किया है।मामला तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया था, जिन्होंने कहा था कि जहां एक कलेक्टर द्वारा आपत्तियां दायर की गई हैं और सुनी गई हैं और रिपोर्ट दूसरे कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए दूषित हो जाती है।इस मामले में कुछ भूमि मालिक गांव छतरपुर में भूमि के मालिक थे, जिसमें बेदखल करने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश था।यद्यपि माननीय न्यायाधीश भूमि मालिकों द्वारा दायर आपत्तियों की सुनवाई के आधार पर भिन्न थे, लेकिन अन्य सभी मुद्दों के संबंध में, न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:“33. अभय राम के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के साथ-साथ गुरदीप सिंह के मामले के साथ-साथ सुनील नागपाल बनाम भारत संघ, सी. डब्ल्यू. 838/86 के मामले में इस अदालत के हाल के डिवीजन बेंच के फैसले को देखते हुए बालक राम गुप्ता (उपरोक्त) के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले को अब एक अच्छा कानून नहीं कहा जा सकता है, जिसमें इसी तरह की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।सूडान सिंह (ऊपर) का फैसला नहीं था

ई.

एफ.

जी.

12 2005 एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 279

एच.

अभय राम के मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा अनुमोदित।इस प्रकार, इन दोनों निर्णयों में से कोई भी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में समानता या कानून को झुका नहीं सकता है।

XXX XXX XXX

39. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि अदालतों द्वारा बड़ी संख्या में रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और विशेष रूप से हाल ही में सुनील नागपाल के मामले (ऊपर) में गुरदीप सिंह और अभय राम (ऊपर) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा के बाद इस न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ द्वारा कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।जहाँ कहीं भी याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय की विभिन्न खंड पीठ द्वारा राहत दी गई है, यह मुख्य रूप से के फैसले का पालन करके किया गया है

बी.

सी.

बालक राम गुप्ता के मामले में खंड पीठ (ऊपर) और पूर्व

उपर्युक्त संदर्भित मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की घोषणा करने के लिए।भले ही याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई दलीलों को स्वीकार किया जाए, मेरी राय में, याचिकाकर्ता वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।"

डी.

12. इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम शिव राज 13 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में चत्रो देवी से उत्पन्न अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय का

बहुमत का विचार है कि आपत्तियों का निर्णय उसी कलेक्टर द्वारा किया जाना आवश्यक है जिसने आपत्तियों को सुना था।हालाँकि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) की व्याख्या से संबंधित उक्त निर्णय को इंदौर के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले में अच्छा कानून नहीं माना गया था।

ई.

विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य।**14**

एफ.

13. अपीलों के एक अन्य समूह में, इस न्यायालय ने एक निर्णय में बताया कि

ओम प्रकाश बनाम भारत संघ और अन्य **15** ने अपीलों को खारिज कर दिया।

जिन भूमि मालिकों ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दर्ज नहीं की थीं। इस न्यायालय ने अभय राम और गुरदीप सिंह उबान-I पर भरोसा किया जो इस प्रकार हैः

जी.

"54. उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस निर्णय के आलोक में

दिल्ली में न्यायालय प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन [(2000) 7 एस. सी. सी.

296] गुरदीप सिंह उबन-द्वितीय [(2000) 7 एस. सी. सी. 296] के नाम से जाने जाते हैं।

13 (2014) 6 एससीसी 564 14 (2020) 8 एससीसी 129 15 (2010) 4 एससीसी 17 ए

एच.

79

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुनील खत्री और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

पहले से ही बिंदुओं पर विचार किए जाने के बाद, इस न्यायालय द्वारा नए सिरे से देखने की आवश्यकता नहीं है।इससे भी अधिक, जब प्रत्येक बिंदु पर बहस की जाती है, तो अपीलार्थीगण द्वारा बहस की जाती है और उनके खिलाफ पहले ही निर्णय लिया जा चुका होता है।उनके द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अनुचित व्यवहार के नाम पर, ऐसे मामले जो या तो इस न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय के कई फैसलों से बंद हो गए थे और यह भी ध्यान में रखते हुए कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 1980 में शुरू की गई थी, इससे अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और अपीलें खारिज किए जाने के योग्य हैं।

बी.

XXX XXX XXX

91. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, जिसका अनुपात अभय राम [(1997) 5 एस. सी. सी. 421] में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा समाप्त हुआ था, हमारी राय है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां हमें एक अलग निष्कर्ष पर आने के लिए कहा जाता है कि धारा 6 के तहत जारी की गई बाद की घोषणा सीमा की अवधि से परे थी।वास्तविक स्थिति हमें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करती है।"

सी.

डी.

14. मनोहर लाल अत्रि बनाम भारत संघ और अन्य। **16,** द

सतबाड़ी गाँव में स्थित भूमि अधिग्रहण की चुनौती थी।27.7.1990 पर, डिवीजन बेंच ने एक अंतरिम आदेश पारित किया कि विचाराधीन भूमि पर की गई कोई भी विकास गतिविधि प्रत्यर्थीगणओं के जोखिम और कीमत पर होगी।हालाँकि, रिट याचिका को 6.12.1990 पर अनुमति दी गई थी, जो इस बात पर निर्भर थी कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना रद्द कर दी गई है।कब्जा बहाल करने और भूमि मालिकों द्वारा वितरित मुआवजे के भुगतान पर भी निर्देश दिया गया था।

ई.

एफ.

15. उत्तरदाता-श्रीमती में भूमि मालिक। शीला खत्री और ओआरएस. वी.भारत संघ और अन्य। 17, वर्ष 1999 में दायर रिट याचिका में आरोप लगाया गया कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना रद्द कर दी गई है और इसलिए, भूमि मालिकों की भूमि के संबंध में अधिनिर्णय अवैध था।भूमि मालिकों ने धारा 6 की अधिसूचना को चुनौती दी और कहा कि मौजूदा धारा 4 की अधिसूचना के आधार पर अधिनियम की धारा 11-ए के तहत आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।भूमि मालिकों ने 1985 की रिट याचिका संख्या 2478 (मूहुल ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम.भारत संघ) जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पूरी भूमि शामिल है

जी.

16 1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 2364 ने 1998 की 17 सिविल रिट याचिका संख्या 1786 पर निर्णय लिया।

एच.

उस अधिसूचना से अधिग्रहण रद्द हो जाता है।भूमि मालिकों ने बलबीर सिंह का भी हवाला दिया जिसमें भूमि के खाली कब्जे को उन सभी व्यक्तियों को सौंपने का निर्देश जारी किया गया था जिन्हें मुआवजा मिला है और भूमि मालिकों को ब्याज के साथ उन्हें प्राप्त मुआवजे को वापस करने का निर्देश दिया गया था।भूमि मालिकों ने निम्नलिखित प्रभाव का अनुमान लगाया हैः

बी.

"16. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1639,1985 दिनांक (आई. डी. 1) (बालक राम द्वितीय) दिनांक (आई. डी. 2) 1989 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 51 (बलबीर सिंह) में पारित उपरोक्त सभी निर्णय और 1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 2364 (मनोहर लाल अत्रि) में 6 दिसंबर, 1990 का निर्णय वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं के मामले में पूरी तरह से लागू होता है।उपर्युक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व और कब्जे वाली भूमि अधिग्रहण कार्यवाही से मुक्त है और याचिकाकर्ता उक्त भूमि के वास्तविक भौतिक कब्जे में वैध मालिक हैं।"

सी.

डी.

(मामलों की आसान पहचान के लिए उल्लिखित नाम)

16. भूमि मालिकों ने तर्क दिया कि दिनांकित आपत्तियां स्वर्गीय श्री के. सी. खत्री द्वारा छोड़े गए पुराने अभिलेखों में पाई गईं, इसलिए, उनके पास यह मानने का कारण है कि आपत्तियां मृतक के. सी. खत्री द्वारा दायर की गई थीं।हम कह सकते हैं कि ऐसी आपत्तियों को दायर करने का कोई स्पष्ट दावा नहीं है, इसलिए, यह मानने का कारण कि आपत्तियां दायर की गई थीं, निर्णायक नहीं है।इसके अलावा, भले ही ऐसी आपत्तियां दायर की गई हों, न तो श्री के. सी. खत्री और न ही उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने 5.6.1987 पर संख्या 15/87-88 वाले पुरस्कार की घोषणा करने से पहले ऐसी आपत्तियों पर विचार न करने के आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही पर विवाद किया है।भूमि मालिकों ने ब्रिगेडियर के मामले में 17.12.1996 पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित एक आदेश का भी उल्लेख किया है।गुरदीप सिंह उबन ने कहा कि एक बार रिट याचिका में अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिए जाने के बाद, पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाती है।

ई.

एफ.

17. अपीलार्थी के अनुसार**, 14.10.1988 18.11.1988** पर बालक राम**-II** के निर्णय के बाद भी**,** एक या दूसरी रिट याचिका में विस्थापन पर रोक थी।इसके बाद**,** दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुखबीर सिंह**,** गुरदीप सिंह उबन और कई अन्य फैसलों में यह विचार रखा था कि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी।लेकिन अभय राम मामले में इस अदालत ने इस मुद्दे को स्पष्ट किया था।

जी.

22.4.1997 पर और गुरदीप सिंह उबन-I और II 20.8.1999 और A पर

एच.

81

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुनील खत्री और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

18.8.2000 क्रमशः।इसलिए, या तो अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगाने या अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द करने के कारण अधिग्रहण कार्यवाही की स्थिति के बारे में अनिश्चितता का युग था। यह केवल अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना की वैधता का मुद्दा था जिसे अंतिम रूप तब मिला जब गुरदीप सिंह उबन-2 का निर्णय लिया गया।इस प्रकार, 2013 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले पांच साल की अवधि समाप्त नहीं हुई थी, जो 1.1.2014 से प्रभावी थी।18. भूमि मालिकों के विद्वान अधिवक्ता श्री बंसल ने जोरदार तर्क दिया कि यदि अधिनियम की धारा 6 में स्पष्टीकरण 2 और अधिनियम की धारा 11-ए में स्पष्टीकरण के संदर्भ में किसी अन्य रिट याचिका में रोक काम कर रही है तो समय के बहिष्करण के लिए विशिष्ट प्रावधान है, लेकिन 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) में कोई संबंधित बहिष्करण खंड नहीं है। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि धारा 6 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन या पुरस्कार की घोषणा के लिए ठहराव की अवधि को बहुत अच्छी तरह से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन पुरस्कार के बाद नहीं, अन्य भूमि मालिकों की रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेशों के बल पर।इसलिए, भूमि मालिकों के पक्ष में यथास्थिति आदेश पारित होने से पहले पांच साल की समाप्ति के बाद, 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के संदर्भ में कार्यवाही समाप्त हो गई थी। यह तर्क दिया गया था कि अन्य भूमि मालिकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में दी गई रोक का उपयोग राज्य द्वारा भूमि मालिकों के मामले में ऐसी अवधि को हटाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

19. भूमि मालिकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पुरस्कार की घोषणा 5.6.1987 पर की गई थी और भूमि मालिकों के पक्ष में अंतरिम आदेश 9.7.1999 पर पारित किया गया था।इस प्रकार, पुरस्कार देने की तारीख से 12 साल की अवधि के लिए, न्यायालय द्वारा या 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत इस तरह की रोक देने वाले अधिनियम के किसी भी वैधानिक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए कोई रोक नहीं थी। यह तर्क दिया गया कि राज्य अलग-अलग तिथियों पर कब्जा कर रहा है, इसलिए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि एक या दूसरे मामले में रोक अपीलार्थी के लिए उस भूमि का कब्जा लेने के लिए निवारक थी जो अधिग्रहण का विषय थी।भूमि मालिकों ने इस निर्विवाद सिद्धांत पर विस्तृत संदर्भ दिया है कि निर्णय एक प्राधिकरण है कि वह वास्तव में क्या तय करता है और न कि इसके बाद क्या होता है, यानी, आज्ञाकारी उक्ति और अनुपात निर्णय का क्या अर्थ है।यह भी तर्क दिया गया कि कानून में आगे के शब्दों को शामिल करके कैसस ओमिसस की आपूर्ति नहीं की जा सकती है।

ई.

एफ.

जी.

20. हमने पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना है और पाया है कि अपील को अनुमति दी जानी चाहिए।उपरोक्त निर्णयों की इस न्यायालय द्वारा ओम प्रकाश मामले में पूरी तरह से जांच की गई है।द.

एच.

बलबीर सिंह और गुरदीप सिंह उबन के मामले में फैसले फिर से आए।

हाल ही में इस न्यायालय द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड और अन्य मामलों में जांच की गई। 18 ने 6.5.2022 पर निर्णय लिया, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

“36. बालक राम-II में, अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था क्योंकि भूमि मालिकों द्वारा दायर आपत्तियों को कानून के अनुसार नहीं सुना गया था या निर्णय नहीं लिया गया था।इस प्रकार, बालक राम-II व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय है न कि रेम में, क्योंकि रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत उनके लिए विशिष्ट थी।बलबीर सिंह में उच्च न्यायालय का निर्णय इस तथ्य पर आधारित है कि बालक राम-द्वितीय में अधिनियम की धारा 6 के तहत पूरी अधिसूचना रद्द कर दी गई है।अभय राम और गुरदीप सिंह उबन-I और II में इस तरह के पहलू को पसंद नहीं किया गया है। अन्यथा भी, दायर की गई आपत्तियों की

सुनवाई न करना उन भूमि मालिकों तक सीमित होगा जिन्होंने आपत्तियां दायर की हैं। खरीदार के हित में पूर्ववर्ती ने अधिनियम की धारा 5 ए के तहत कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है, इसलिए बालक राम-II में निर्णय उन भूमि मालिकों की सहायता के लिए नहीं आ सकता है जिन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की है।

बी.

सी.

डी.

37. इसलिए, बलबीर सिंह में निर्णय अन्य भूमि मालिकों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है जिन्होंने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों की प्रभावी सुनवाई के अभाव के आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही पर विवाद नहीं किया है। चूँकि मूल भूमि मालिक ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, इसलिए खरीदार उस राहत की मांग नहीं कर सकता जो मूल भूमि मालिक को भी उपलब्ध नहीं थी।

ई.

38. खरीदार ने यह जानते हुए संपत्ति खरीदी है कि विक्रेता ने अधिग्रहण की कार्यवाही पर विवाद नहीं किया है।लेकिन सुखबीर सिंह में पारित एक आदेश के आधार पर, खरीदार द्वारा यह सूचित और स्वीकार किया गया कि अधिग्रहण रद्द कर दिया गया है और मूल भूमि मालिक के पास भूमि का कब्जा है।सूडान सिंह के बाद से, इस न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट तीन निर्णयों (अभय) में, बीर सिंह में आदेश की पुष्टि करने को मंजूरी नहीं दी गई है।

एफ.

जी.

राम, गुरदीप सिंह उबान-I और गुरदीप सिंह उबान-II), नं।

यह अधिकार मूल भूमि मालिक या खरीदार को प्राप्त होगा।उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में अभय राम, गुरदीप सिंह उबान-मामले में इस न्यायालय के तीन फैसलों में से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया है।

एच.

18 2022 ए की सिविल अपील संख्या 3073

83

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुनील खत्री और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

प्रथम और गुरदीप सिंह उबन-द्वितीय ने बीर सिंह के प्रभाव को रद्द कर दिया।

और इसके बजाय खरीदार को मूल भूमि मालिक को भुगतान की गई राशि का दोगुना जमा करने का आदेश दिया।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा इस तरह के फैसले को मंजूरी नहीं दी गई है, भूमि मालिकों द्वारा बलबीर सिंह में मुआवजे के भुगतान की शर्त कायम नहीं है।"

बी.

21. भूमि मालिकों द्वारा दायर रिट याचिका में, 9.7.1999 पर रोक लगाने का एक अंतरिम आदेश दिया गया था, इससे पहले कि गुरदीप सिंह उबन-I पर 20.8.1999 पर निर्णय लिया गया था।अधिनियम की धारा 6 के तहत जिन अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया था, वे आदेश के बाद ही प्रभावी हुईं।

यह न्यायालय गुरदीप सिंह उबन-I और II में है। जमीन का मालिक अजीब तरह से

सी.

अभय राम में 22.4.1997 पर दिए गए फैसले का कोई उल्लेख नहीं किया। भूमि मालिक द्वारा दायर रिट याचिका में बेदखल करने पर रोक का आदेश 2013 के अधिनियम के लागू होने पर भी जारी रहा।गुरदीप सिंह उबन 19 में जो भूमि चुनौती का विषय थी, वह पुरस्कार की घोषणा से पहले ही गांव छतरपुर में थी।गाँव छतरपुर में स्थित भूमि के संबंध में 28.4.1986 पर बेदखल करने का एक अंतरिम आदेश था जो तब तक जारी रहा जब तक कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द नहीं कर दिया गया, जो कि 15.05.1989 पर निर्णय किए गए थे।यह आदेश इस अदालत द्वारा गुरदीप सिंह उबन प्रथम मामले में 20.8.1999 पर रद्द कर दिया गया था। भूमि मालिक को 9.7.1999 पर अपनी रिट याचिका में रोक मिल गई थी।इस प्रकार, 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले 5 साल की कोई ठहराव मुक्त अवधि नहीं थी। 22.यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा गुरदीप सिंह और बीर सिंह के मामले में पूरी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था, इसलिए राज्य रद्द अधिसूचना के आधार पर कब्जा नहीं कर सका।लेकिन इस न्यायालय के फैसले वर्ष 1999 या 2000 में सुनाए जाने से पहले, भूमि मालिक ने बेदखल करने पर रोक प्राप्त कर ली थी।इसलिए, यह धारा 6 के तहत अधिसूचना या धारा 11-ए के तहत निर्णय लंबित रहने तक बेदखल करने पर रोक नहीं है, बल्कि इस न्यायालय द्वारा तय की गई पूरी भूमि का अधिग्रहण है।इस प्रकार, राज्य धारा 6 के तहत एक अधिसूचना के आधार पर कब्जा नहीं कर सका, जिससे 05.06.1987 पर पुरस्कार दिया गया।यह तर्क कि भूमि मालिक के पक्ष में रोक दिए जाने तक पुरस्कार की तारीख से कोई रोक नहीं थी, इसलिए आंशिक रूप से सही है क्योंकि कोई रोक नहीं थी, लेकिन अधिग्रहण ही रद्द हो गया था।इसलिए, जब 2013 का अधिनियम 01.01.2014 पर लागू हुआ, तो पाँच साल समाप्त नहीं हुए थे जो अधिग्रहण से मुक्त या अलग रखने से मुक्त थे।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

19 1986 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 920 ने 17.12.1996 पर निर्णय लिया

23. भूमि मालिकों के विद्वान अधिवक्ता ने श्रीमती वेरिंदर कौर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 20 में राज्य द्वारा दायर एक जवाबी हलफनामे का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि गाँव छतरपुर के संबंध में मुआवजे की राशि गाँव काकरोला में पुरस्कार के उद्देश्य से वापस ले ली गई थी।हालाँकि, उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने 3 दशकों से अधिक समय तक अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी थी।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

बी.

"तथ्य यह है कि जहाँ तक याचिकाकर्ता का संबंध है, वह कभी भी किसी भी स्तर पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आई।जबकि कुछ अन्य अदालत में आए और उनके पक्ष में अंतरिम आदेश प्राप्त किए, याचिकाकर्ता ने किसी भी स्तर पर कार्यवाही को चुनौती नहीं दी।प्रत्यर्थीगण की कब्जा लेने में असमर्थता इस तथ्य से समझाई जाती है कि याचिकाओं के एक समूह में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जो लंबे समय तक जारी रहा।इस स्तर पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जब याचिकाकर्ता ने तीन दशकों से अधिक समय से उन्हें चुनौती देने में कोई रुचि नहीं दिखाई है, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करेगा।याचिका का मनोरंजन करना इंदौर में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के विपरीत होगा।

सी.

डी.

विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र (2018) 3 एससीसी 412।"

ई.

24. दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राजन सूद 21 के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के एक अन्य फैसले में, 2013 का अधिनियम लागू होने पर भूमि मालिक को उसके पक्ष में ठहराव का लाभ मिला था।अधिनियम की धारा 48 के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए भूमि मालिक द्वारा 9.11.2011 पर दायर रिट याचिका में एक निर्देश जारी किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 48 लागू होगी क्योंकि भूमि का कब्जा अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी द्वारा नहीं लिया जाता है और इस प्रकार भूमि मालिकों को उसी के कब्जे में माना जाएगा।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

एफ.

“ 7.1 ... मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि दो अलग-अलग अवसरों पर उच्च न्यायालय के समक्ष आयोजित कार्यवाही में अपीलार्थीगण द्वारा कथित रूप से प्रतीकात्मक कब्जा लेने वाले एक कथित पत्र का खुलासा कभी नहीं किया गया था और यह पहली बार वर्तमान कार्यवाही में दायर किया गया है।उपरोक्त कथन सही नहीं है।यहाँ तक कि विवादित क्रम में ही

जी.

20 2018 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 589 ने 13.8.2019 पर निर्णय लिया

एच.

21 2022 की सिविल अपील संख्या 1927 29.3.2022 A पर निर्णय लिया गया

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुनील खत्री और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

पैराग्राफ 2 में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण की ओर से इस आशय की दलीलों को नोट किया है कि कब्जा 23.09.1986 पर ले लिया गया था।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस अदालत के समक्ष इस तरह की याचिका पहली बार ली गई है।यह मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से मामला है, जो रिट याचिका संख्या 09.11.2011 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश पर भरोसा करता है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के कब्जे में बने हुए हैं और वास्तविक कब्जे को कभी नहीं लिया गया है।हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दिनांकित 09.11.2011 के आदेश में भी, उच्च न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया था कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के पास विचाराधीन भूमि का कब्जा है।इसके विपरीत, यह देखा गया है कि अधिनियम, 1894 की धारा 48 के तहत आवेदन पर विचार करने का अधिकार मूल रिट याचिकाकर्ताओं के पास होने की धारणा पर गुण-दोष पर है।इसलिए, दिनांक 1 का आदेश पारित करते समय भी, उच्च न्यायालय ने मान

लिया कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हैं, इसलिए इस आशय का कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हैं।

बी.

सी.

डी.

XXXXXX

7.3 जो भी हो सकता है।यह मानते हुए कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं को कब्जे में पाया गया है और मुआवजे की पेशकश नहीं की गई थी, उस मामले में भी जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 7714/2011 में 09.11.2011 पर पारित आदेश से देखा जा सकता है, प्राधिकरण को विचाराधीन भूमि के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया गया था।इसलिए, के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय को देखते हुए

ई.

इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर-अनुच्छेद 366.8),

एफ.

अवधि, जिसके दौरान अंतरिम आदेश लागू है/था, को पाँच साल की अवधि की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।वर्तमान मामले में भी, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क है कि अधिनियम, 1894 की धारा 48 के तहत आवेदन पर निर्णय होने तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश जारी रखने का निर्देश दिया गया था।"

जी.

25. दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम भीम मामले में एक अन्य निर्णय में

सैन गोयल और ओआरएस। 22, अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत क्रमशः 21.3.2003 और 18.3.2004 दिनांकित अधिसूचनाएं विचार का विषय थीं।यह पुरस्कार भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा 22.8.2005 पर पारित किया गया था।धारा 6 अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में,

22 इस न्यायालय द्वारा 25.4.2022 पर पारित 2022 की सिविल अपील संख्या 3151

एच.

उच्च न्यायालय ने विचाराधीन भूमि की प्रकृति, स्वामित्व और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।रिट याचिका खारिज कर दी गई थी लेकिन इस अदालत के समक्ष अपील में, रोक का एक अंतरिम आदेश था।अपील के लंबित रहने के दौरान, 2013 अधिनियम अधिनियमित किया गया।भूमि मालिकों ने कार्यवाही को समाप्त घोषित करने के लिए एक रिट याचिका दायर की।इस तरह की रिट याचिका को 2.2.2016 पर अनुमति दी गई थी जिसे तब इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

बी.

“12. इस मामले के तथ्यों पर उपरोक्त सिद्धांतों के लागू होने पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रत्यर्थीगण 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत शरण नहीं ले सकते हैं। यह सरल कारण है कि न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने और अंतरिम आदेश प्राप्त करने में उनके आचरण से अपीलार्थी को भूमि पर कब्जा करने से रोका गया था।हम अपने मन में स्पष्ट हैं कि यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जिसमें प्रत्यर्थीगण ने मुकदमा शुरू किया है, आदेश प्राप्त किए हैं और इसने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को कब्जा करने से रोक दिया है और इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार करना होगा।

सी.

डी.

XXXXXX

22. जिस सिद्धांत ने इस न्यायालय की संविधान पीठ में अपील की है, वह इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है।जिस लोक प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती शासन के तहत कानून को लागू किया था, उसे तब नुकसान नहीं हो सकता जब दिन के अंत में या गणना के दिन यह पाया जाता है कि उन्हें कानून में सफल होना चाहिए।यहाँ हमने पाया है कि अपीलकर्ता यह तर्क देने में पूरी तरह से उचित है कि लेकिन उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के लिए, कब्जा ले लिया गया होगा, और भूमि कानून के तहत निहित होगी। हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि लेकिन पारित अंतरिम आदेशों के लिए जो मामलों के अंतिम निपटारे से बच नहीं सकते हैं, भूमि पहले के शासन के तहत सरकार के पास निहित होती।

ई.

एफ.

XXXXXX

जी.

24. यह दिन के उजाले के रूप में स्पष्ट है कि यह जनहित के लिए पूरी तरह से विरोधी होगा यदि सरकार पहले से ही उसके स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 2013 के अधिनियम के तहत सार्वजनिक धन खर्च करने के लिए मजबूर हो।हम उक्त उदात्त सिद्धांत से भी बेखबर नहीं रह सकते।"

एच.

87

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुनील खत्री और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

ए.

26. ध्यान देने योग्य बात यह है कि हालांकि बालक राम-द्वितीय मामले में उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द नहीं किया था, लेकिन बाद के कुछ फैसलों जैसे कि सुखबीर सिंह में, उच्च न्यायालय ने माना कि अधिसूचना रद्द कर दी गई है और भूमि भूमि मालिकों को वापस कर दी गई है।इसलिए, भूमि मालिकों को मुआवजे को वापस करने का विकल्प दिया गया था।इस फैसले से बलबीर सिंह की पुष्टि हुई।

बी.

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सूडान सिंह **23** में न्यायालय।दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरदीप सिंह उबन आदि मामले में यह निर्णय देने के लिए सूडान सिंह पर भरोसा किया कि

अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना रद्द कर दी गई है।हालाँकि, सूडान सिंह को विशेष रूप से इस मामले में अच्छा कानून नहीं बनाते हुए पाया गया था।

अभय राम, गुरदीप सिंह उबान-I और गुरदीप सिंह उबान-II। वहाँ।

यह भूमि मालिकों द्वारा दायर रिट याचिका पर रोक थी जो 2013 के अधिनियम के लागू होने तक जारी रही।इसलिए, यह स्वयं उच्च न्यायालय का आदेश था जिसने अपीलार्थी को कब्जा करने से रोक दिया।हालांकि, इस तरह की स्थिति फैसले के बाद ही स्पष्ट हुई

सी.

गुरदीप सिंह उबान-I में, जिसे बाद में गुरदीप सिंह उबान-II में स्पष्ट किया गया, लेकिन

इस बीच, भूमि मालिकों के पक्ष में एक अंतरिम आदेश दिया गया था।

डी.

27. इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल मामले में यह न्यायालय

और अन्य 24 ने माना कि कब्जा करने में विफलता या अकेले मुआवजे के भुगतान की दोहरी शर्तों के कारण 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत अधिसूचना समाप्त हो सकती

है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:“306. जब अधिकारी असंभवता के कारण कर्तव्यों का पालन करने से अक्षम हो जाते हैं, तो उनके लिए धारा 24 (2) के प्रावधानों की कठोरता से बचाने के लिए एक अच्छा बहाना होगा।एक वादी सही या गलत हो सकता है।उसे अंतरिम आदेश से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।सिद्धांत "कमोडम एक्स इंजुरिया सुआ नेमो हेबेरे डेबेट" जो कि सुविधा है, किसी पक्ष को उसकी अपनी गलती से नहीं मिल सकता है।धारा 24 के प्रावधान वादियों या गैर-वादियों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और एक ही अधिग्रहण के संबंध में उनके साथ अलग-अलग व्यवहार करते हैं, अन्यथा, विसंगत परिणाम हो सकते हैं और प्रावधान अपने आप में भेदभावपूर्ण हो सकते हैं।

ई.

एफ.

जी.

307. भारत संघ बनाम शिव राज [भारत संघ बनाम शिव राज, (2014) 6 एस. सी. सी. 564:(2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 607], इस न्यायालय ने नहीं

23 (1997) 5 एससीसी 430 24 (2020) 8 एससीसी 129

एच.

समय के अपवर्जन के प्रश्न पर विचार करें।करनैल कौर बनाम पंजाब राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 206:(2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 259] और श्री बालाजी नगर आवासीय संघ में। [श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम टी. एन. राज्य, (2015) 3 एस. सी. सी. 353:(2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 298], धारा 24 के प्रावधानों की व्याख्या सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार नहीं किया गया।अतः उक्त निर्णयों को अच्छा कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

बी.

XXXXXX

314. उक्ति "लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया" का अर्थ है कि कानून असंभव के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करता है।हालांकि भुगतान संभव है लेकिन भुगतान का तर्क प्रासंगिक है।ऐसे मामले हैं जिनमें मुआवजे की निविदा दी गई थी, लेकिन इनकार कर दिया गया और

फिर खजाने में जमा कर दिया गया।अदालत में मुकदमा था, जो लंबित था (या कुछ मामलों में, निर्णय लिया गया था); मुआवजे में वृद्धि के लिए पहले संदर्भ मांगे गए थे और मुआवजे में वृद्धि की गई थी।अधिग्रहण की कार्यवाही या कब्जा लेने आदि के लिए कोई चुनौती नहीं थी। इस न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में, यहां तक कि मुआवजे से संबंधित कार्यवाही में भी, धारा 24 (2) को यह बताने के लिए लागू किया गया था कि अदालत में मुआवजे को जमा नहीं करने या खजाने में जमा करने या अन्यथा अदालत के अंतरिम आदेश के कारण कार्यवाही समाप्त हो गई है, क्योंकि ऐसी कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए।

सी.

डी.

ई.

XXXXXX

316. एक अन्य रोमन नियम उक्ति "निमो टेनेटर एड इम्पॉसिबिलिया" का अर्थ है कि कोई भी असंभवता करने के लिए बाध्य नहीं है।यद्यपि मुआवजे का कब्जा लेने और वितरण करने के ऐसे कार्य असंभव नहीं हैं, फिर भी वे अदालत के आदेश के निर्वाह के दौरान कानूनी प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं; आदेश का पालन किया जाना चाहिए और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार, न्यायसंगत सिद्धांतों पर भी, ऐसी अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए।

एफ.

जी.

28. इसलिए, 5 साल की अवधि 1.1.2014 पर समाप्त नहीं हुई थी जिससे अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो सकती थी।अपीलार्थी को कब्जा लेने के लिए दायर कई रिट याचिकाओं में अंतरिम आदेशों द्वारा रोका गया था।इसलिए, 2013 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले, 5 साल की कोई ठहराव मुक्त अवधि नहीं थी जिससे यह घोषणा हो सकती थी कि कार्यवाही समाप्त हो गई है।और भी आगे, ए के तहत अधिसूचनाएँ

एच.

89

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुनील खत्री और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

15.5.1989 और 17.12.1996 पर निरस्त अधिनियम की धारा 6 को गुरदीप सिंह उबन-I और II में अलग रखा गया था, लेकिन इससे पहले, 27.9.1999 पर भूमि मालिक के पक्ष में बेदखल करने का आदेश दिया गया था।इसलिए, अधिनियम की धारा 6 के तहत

अधिसूचना को रद्द करने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए राज्य अपना अधिकार नहीं ले सका।

बी.

29. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया जाता है और भूमि मालिकों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

सी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.